न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.—0744—2325871

GCMS NO.-2021/133
मिसल नम्बर— 11/2021

सितारा उर्फ सित्तो बेगम पत्नी स्व0 बुन्दू उम्र 71 वर्ष जाति मुसलमान निवासी पुलिस चौकी के पीछे कोटड़ी कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.खालिक पुत्र श्री बुन्दू उम्र 40 वर्ष जाति मुसलमान
2.मुमताज पत्नी खालिक उम्र 38 जाति मुसलमान निवासीगण पुलिस चौकी के पीछे कोटडी कोटा

अप्रार्थीगण।

—:निर्णय:—

(भरण—पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना—पत्र।)

दिनांक 25/12/21

उपस्थितिः—

1.श्री असगर अली अंसारी प्रार्थीया अधिवक्ता।
2.श्री मोहम्मद युनूस अप्रार्थीगण अधिवक्ता।

भरण—पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया एक वरिष्ठ नागरिक है जिसकी आयु लगभग 71 साल है तथा प्रार्थीया के पति बुन्दु खां की दिनांक 19.09.2011 को मृत्यु हो चुकी है तथा बुन्दू खां के नुत्फे से प्रार्थीया के दो संताने जिनमें अप्रार्थी क्रम 1 एवं एक पुत्री शबीना पैदा हुई। दोनों की प्रार्थीया एवं उसके पति ने शादी की है तथा प्रार्थीया की पुत्री पूर्व में प्रार्थीया के मकान में ही ग्राउण्ड फ्लोर का एक कमरा किराये का लेकर निवास कर रही थी तथा प्रार्थीया की भी देखरेख करती थी लेकिन अप्रार्थीगण की नियत में खोट आने के कारण अप्रार्थीगण लडाई झगड़ा करने लग गये और जबरदस्ती मारपीट कर उसे मकान से निकाल दिया, प्रार्थीया की पुत्री शबीना अन्य जगह पर किराये से निवास कर रही है। अप्रार्थीगण पति पत्नी है एवं प्रार्थीया के पुत्र व पुत्रवधू है। प्रार्थीया के एक ही पुत्र है तथा प्रार्थीया की पुत्री जिंदगी उसी के उपर आश्रित थी लेकिन प्रार्थीया ने जब से अप्रार्थी क्रम 1 का विवाह अप्रार्थी क्रम 2 से किया उसके बाद से ही अप्रार्थी क्रम 1 के व्यवहार में बदलाव आ गया और धीरे— धीरे अप्रार्थी क्रम 1 लड़ाई झगडा करने पर आमादा हो गया तथा अप्रार्थी क्रम 2 की बात में आकर लडाई झगडा करता, बेईज्जत करता, यहां तक की पूर्व में तो अप्रार्थीगण, प्रार्थीया को खाना पीना देते थे लेकिन करीब दो वर्ष से प्रार्थीया को खाना पीना देना भी बंद कर दिया इसके अलावा प्रार्थीया के अपने मकान के ग्राउण्ड फ्लोर के दो कमरे जिनको प्रार्थीया किराये पर देकर अपना गुजर बसर करती रहती थी, उन किरायेदारों को भी जबरदस्ती लडाई झगडा करके भगा दिया और

उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी
कोटा कोटा

किरायेदारों से उक्त कमरे खाली करवा लिये। प्रार्थीया का आमदनी का जरिया भी खत्म हो गया। प्रार्थीया के साथ अप्रार्थीगण का कुरतापूर्ण व्यवहार दिन प्रतिदिन ज्यादा क्रूर होता चला गया यहां तक की अप्रार्थीगण अब तो प्रार्थीया के साथ खाना पीना, सुश्रुषा करना तो बहुत दूर की बात है, अब तो मारपीट करने पर आमादा हो गये तथा प्रार्थीया के पास नजदीकी रिश्तेदारी प्रार्थीया की पुत्री, प्रार्थीया के भाई भौजाई आदि मिलने के लिये आते है तो उनके साथ भी बुरा बर्ताव करते है, लडाई झगडा करने पर उतारू हो जाते है। प्रार्थीया का खरीदशुदा मकान है, जिसका नियमन आवंटन अधिकार पत्र दिनांक 06.02.2013 को प्रार्थीया को आवटित हुआ था और प्रार्थीया के उक्त मालिकाना हक के मकान में अप्रार्थी जबरदस्ती ताकत के बल पर निवास कर रहे है यहां तक की लडाई झगडा करने पर आमादा होते रहते है, मारपीट करते है, बेईज्जत करते है, ऐसा करने का अप्रार्थीगण को कोई कानूनी अधिकार भी नहीं है। प्रार्थीया का एक अन्य मकान श्रीपुरा कोटा में पुश्तैनी है उस मकान में अप्रार्थीगण ने किरायेदार रख रखे है तथा उक्त किरायेदारों से जबरदस्ती किराया भी स्वयं प्राप्त करते है तथा प्रार्थीया अप्रार्थीगण से उक्त किराये की मांग करती है तो लडाई झगडा करने पर आमादा हो जाते है और यहां तक अप्रार्थीगण धमकी देते है कि जैसे हम रखेंगे वैसे ही रहना पड़ेगा, वरना इस मकान से भी जबरदस्ती बाहर निकाल देंगे। प्रार्थीया 70 वर्षीय वृद्ध महिला है प्रार्थीया से काम धंधा नहीं होता है प्रार्थीया कितनी ही बार भूखों सौ जाती है, मोहल्ले के व्यक्ति रहम खाकर प्रार्थीया को खाना दे देते है लेकिन अप्रार्थीगण पुत्र एवं पुत्रवधु होने के नाते खाना भी नहीं देते है और लडाई झगडा करते है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी का खरीदशुदा सामान भी बेच दिया है, जिसमें गैस का चूल्हा व कूलर भी है। प्रार्थी सादा चूल्हे में अपना खाना बनाती है तथा भीषण गर्मी में पंखे में ही अपना गुजर बसर कर रही है। यहां तक की अप्रार्थीगण नल लाईट का सभी प्रकार से उपयोग, उपभोग कर रहे है लेकिन किसी प्रकार का नल व बिजली का बिल जमा नहीं करते है तथा कहने पर लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा हो जाते है तथा प्रार्थीया का राशन कार्ड भी अपने पास रखा हुआ है जिससे मिलने वाला राशन का भी उपयोग स्वयं ही करते है। प्रार्थीया के द्वारा पूर्व में भी पुलिस थाना गुमानपुरा कोटा, पुलिस अधीक्षक शहर कोटा को लड़ाई झगडा करने के सम्बन्ध में एव मकान खाली कराने के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण के विरूद्ध परिवाद दिये थे लेकिन उक्त परिवादों को कोई कार्यवाही नहीं हुई जिसकी कॉपी भी संलग्न है। प्रार्थीया, अप्रार्थीगण के जुल्म एवं ज्यादतियों से इतनी परेशान हो चुकी है कि इस वृद्धावस्था में प्रार्थीया का जीना दुश्वार हो गया है इस कारण प्रार्थीया, अप्रार्थीगण से अपने स्वयं के मकान में प्रथम मंजिल में तथा ग्राउण्ड फ्लोर के दो कमरों पर जबरदस्ती निवास व कब्जा कर रखा है जिसे प्रार्थीया माननीय न्यायालय से खाली करवाना चाहती है। प्रार्थीया के इसके अलावा अन्य कोई उपचार शेष नहीं है क्योंकि प्रार्थीया 70 वर्षीय वृद्ध महिला है, प्रार्थीया के अप्रार्थीगण के कारण भूखों मरने की नौबत आ रही है। इस कारण प्रार्थीया, अप्रार्थीगण से भरण पोषण की राशि 5000/- रूपये भी प्राप्त करने की अधिकारिणी है। अतः परिवाद पत्र पेश कर श्रीमान से निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया का उक्त मकान जिसके प्रथम मंजिल के कमरे एव ग्राउण्ड फ्लोर के दो कमरों में अप्रार्थीगण निवास करते है उक्त मकानों में से बेदखल कर उक्त कमरों का कब्जा प्रार्थीया को अप्रार्थीगण से दिलावाया जाये तथा प्रार्थीया को अप्रार्थीगण से भरण पोषण की राशि 5000/- रूपये प्रत्येक माह दिलवाये जाने के आदेश फरमाये जाये। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे प्रार्थीया को दिलवायी जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया बून्दू खां की द्वितीय पत्नि है प्रार्थीया के बुन्दू के नुत्फे से मात्र अप्रार्थी न0 1 पैदा हुआ है जब कि पुत्री शबीना उसके पूर्व पति छोटया लाडपुरा निवासी कोटा की सन्तान है प्रार्थीया छोटया की तलाक शुदा पत्नि है। शबीना जिसमे अप्रार्थीगण मय परिवार के निवास करते है। अप्रार्थी की सहमति से किराये पर निवास कर रही थी जिसका वह किराया भी नहीं देती थी तथा प्रार्थीया द्वारा अपनी पुत्री शबीना को साजीदेडा मे कोटा मे अप्रार्थी न० 1 के पिता द्वारा छोडी गई रकम से मकान दिलवा दिया जिसमे वह वर्तमान मे निवास कर रही है। प्रार्थीया की खिदमत अप्रार्थीगण ही करते है तथा उसकी हर प्रकार से देखभाल करते है। किसी प्रकार का उसके साथ कोई दुर्वव्यवहार नहीं करते है तथा प्रार्थीया को सम्मान जनक तरीके से अपने साथ रखते है। समय पर प्रार्थीया को खाना देते है तथा उसके साथ कोई किसी प्रकार की तकलीफ नही देते है। जिस कमरो मे प्रार्थीया किरायेदार बता रही है उक्त कमरो का किराया वह स्वयं प्राप्त करती थी। प्रार्थीया द्वारा ही लड़ाई झगडा कर किरायेदारो को मकान से निकाला है प्रार्थीया स्वयं एक हजार बीडी बनाती है तथा प्रार्थीया के नाम विधवा पेन्शन 1500/– रूपये आती है तथा बीडी की आमदनी 5000 रूपये महावार होती है तथा मकान का किराया भी इसके पास आता है इस प्रकार प्रार्थीया की आय का साधन काफी है इन सब के बावजूद कोई पैसा आदि प्रार्थीया से लिये बिना वह प्रार्थीया की हर प्रकार से खिदमत करते है। जिस मकान को वह अपना खरीद शुदा बता रही है वह पूर्ण अस्वीकार है । प्रार्थीया व अप्रार्थी जिस मकान मे निवास करते है वहां पर पूर्व मे कच्ची टापरियां बनी हुई थी जब उक्त जगह के पटटे बनने लगे तो अप्रार्थी न० 1 जो कि प्रार्थीया का पुत्र ने अपनी माता होने के नाते नगर निगम कोटा मे अपनी माता प्रार्थीया के नाम उक्त जगह का पटटा बनवाया तथा उक्त स्थान पर अपनी स्वअर्जित आय से व कर्जा लेकर उक्त मकान बनाया है। श्रीपुरा कोटा स्थित पुश्तैनी मकान अप्रार्थी के पिता का है जिसमे उनकी पूर्व पत्नि हनीफा जिन्दा है रहती थी लेकिन बून्दू खां के स्वर्गवास के बाद अनुकम्पा नौकरी मे पूर्व पत्नि के पुत्र को नगर निगम मे नौकरी मिलने पर अप्रार्थी व हनीफा के पुत्र के बीच समझौता हुआ जिसमे श्रीपुरा वाला मकान अप्रार्थी न0 1 को दिया गया तथा नौकरी उनके पास रखी गई है इस प्रकार अप्रार्थी न0 1 उक्त मकान का एक मात्र मालिक है उक्त मकान से प्रार्थीया का कोई संबंध नहीं है। अप्रार्थीगण सम्पूर्ण मकान का नल बिजली का बिल जमा कराते है। तथा राशन कार्ड भी प्रार्थीया के पास है जो उक्त राशन कार्ड से खाद्य सामग्री प्राप्त कर बाहर ही बेचदेती है तथा समझाने पर लडाई झगडा करती है तथा कहती है मेरा राशन का गैहूं जो मै चाहूगी करूंगी। जिस प्रार्थना पत्र का हवाला दिया गया है उसकी कोई जानकारी अप्रार्थीगण को नहीं है क्योकि कभी भी कोई पुलिस कर्मी अप्रार्थीगण के पास नहीं आया इसके विपरीत प्रार्थीया को जो कि चिडचिडा पन की महिला है हर कभी अप्रार्थी न० 1 के साथ तथा उसकी पति के साथ लडाई झगडा करती रहती है जिसको अप्रार्थी न0 1 पुत्र होने से यह सब बर्दाश्त करता रहा है लेकिन जब प्रार्थीया को ज्यादा गुस्सेल होकर अप्रार्थीया न0 2 के साथ मारपीट पर आमादा होने लगी तथा अप्रार्थीया न० 2 के साथ मारपीट की तो अप्रार्थीया न० 2 द्वारा दिनांक 30–3–2022 को प्रार्थीया के विरूद्ध पुलिस थाना गुमानपुरा कोटा में एक लिखित रिपोर्ट पेश की जिसकी फोटो कॉपी इस जबाब के साथ संलग्न है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थीगण प्रार्थीया की हर प्रकार से सेवा चाकरी कर रहे है तथा उसका हर प्रकार से ख्याल रखते है। प्रार्थीया द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अपने पूर्व पति की सन्तान शबीना के बहकावे मे आकर पेश किया गया

उपखण्ड अधिकारी

है क्योकि शबीना प्रार्थीया की माता को बहका कर उससे आये दिन रकम एठती रहती है। तथा साजीदेहड़ा का मकान भी प्रार्थीया से रकम लेकर शबीना द्वारा खरीद किया गया है। प्रार्थीया एक गुस्सेल स्वभाव की महिला है जो आये दिन अप्रार्थीगण से लडाई झगडा करती रहती है। अप्रार्थीगण प्रार्थीया के साथ एक अच्छा व्यवहार करते है तथा समय खाना देते है तथा उसकी हारी बिमारी मे दवा आदि लाते है प्रार्थीया के पास स्वयं आय का साधन है वह बीडी बनाती है जिससे 5000/— रूपये मासिक आय होती है तथा विधवा पेन्शन 1500/— रूपये आती है तथा मकान का किराया जो भी आता है वह भी प्रार्थीया ही रखती है। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रक्रिया के उपरांत उभयपक्षारान की ओर से जवाब उल जवाब पेश किये गये। तत्पश्चात पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। प्रार्थीपक्ष की ओर से बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराया एवं अप्रार्थीगण की ओर से जवाब को ही बहस माने जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया के साथ बदसलूकी, गाली गलौच एवं मारपीट करने का कथन किया है परन्तु प्रार्थीया द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थीया के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थीया अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अतः प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण को वर्णित मकान पुलिस चौकी के पीछे कोटड़ी कोटा से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि बुन्दू खां के नुत्फे से प्रार्थीया के दो संताने जिनमें अप्रार्थी क्रम 1 एवं एक पुत्री शबीना पैदा हुई। प्रार्थीया के उक्त कथन का खण्डन करते हुये अप्रार्थीगण द्वारा कथन किया है कि ''प्रार्थीया छोटया की तलाक शुदा पत्नि है। प्रार्थीया बून्दू खां की द्वितीय पत्नि है प्रार्थीया के बुन्दू के नुत्फे से मात्र अप्रार्थी न0 1 पैदा हुआ है जब कि पुत्री शबीना उसके पूर्व पति छोटया लाडपुरा निवासी कोटा की सन्तान है।'' प्रार्थीया की ओर से अपने जवाब उल जवाब एवं बहस में अप्रार्थीगण के इस कथन का विरोध/खण्डन नही किया है जिससे अप्रार्थीगण का उक्त कथन उचित प्रतीत होता है कि प्रार्थीया बून्दू खां की द्वितीय पत्नि है प्रार्थीया के बुन्दू के नुत्फे से मात्र अप्रार्थी न0 1 पैदा हुआ है। परन्तु प्रार्थीया की ओर से उक्त तथ्य छिपाकर क्लीन हैण्ड से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। जिस कारण से प्रार्थीया के द्वारा प्रार्थना पत्र में किये गये किसी भी कथन को गंभीरता से नही लिया जा सकता है। उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सीनियर सिटीजन एक्ट में चाहा गया अनुतोष दिलाया जाना उचित नही पाते है। परन्तु न्यायहित में अप्रार्थीगण को पांबद किया जाता है कि वे प्रार्थी के साथ लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाली गलौच इत्यादि नही करें, उपरोक्त वर्णित मकान में प्रार्थी के शांतिपूर्वक निवास, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, प्रार्थी की सेवा सुश्रुषा करें एवं प्रार्थी को अपशब्द नही कहें।

उक्त निर्णय आज दिनांक 24/12/24 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी